राजस्थान सिविल सेवा अपील अधिकरण, जयपुर

अपील संख्या :– 70/2012
माणक चन्द जैन

–अपीलार्थी

बनाम

1. निदेशक, माध्यमिक शिक्षा, राजस्थान, बीकानेर।
2. उप निदेशक, शिक्षा (माध्यमिक), उदयपुर जोन, उदयपुर।
3. जिला शिक्षा अधिकारी (माध्यमिक), प्रथम, उदयपुर, राज.।

–प्रत्यर्थीगण

आदेश की दिनांक : 07.02.2024
उपस्थिति :–
अपीलार्थी की ओर से : श्री डी.पी. शर्मा, अभिभाषक
प्रत्यर्थीगण की ओर से : श्री हेमन्त धारीवाल, राजकीय अभिभाषक

समक्ष :– अनन्त भंडारी, सदस्य (न्यायिक)
शुचि शर्मा, सदस्य

आदेश

1. इस अपील में अपीलार्थी ने आदेश दिनांक 18.07.2011 को चुनौती दी है, जिसके द्वारा अपीलार्थी की नियमित नियुक्ति दिनांक 05.10.1991 दक्षता परीक्षा उत्तीर्ण करने की तिथि से मानी जाकर अपीलार्थी को 27 वर्षीय एसीपी ग्रेड–पे दिनांक 05.10.2018 को देय होना माना गया है। अपीलार्थी के अधिवक्ता का तर्क है कि अपीलार्थी ने पूर्व में इस अधिकरण के समक्ष अपील संख्या 2021/1998 प्रस्तुत की थी, जिसका विनिश्चय अधिकरण द्वारा आदेश दिनांक 18.08.1999 के द्वारा दिया गया। उक्त आदेश में अधिकरण ने अपीलार्थी को उसकी प्रथम नियुक्ति की दिनांक से सेवा की गणना करते हुए चयनित वेतनमान का लाभ दिये जाने का आदेश दिया था, चाहे उसके द्वारा बाद में दक्षता परीक्षा उत्तीर्ण की गई हो। ऐसे में अपीलार्थी को 27 वर्षीय चयनित वेतनमान का लाभ भी प्रथम नियुक्ति की दिनांक से ही देय होगा और दक्षता परीक्षा उत्तीर्ण करने की तिथि से सेवा की गणना किया जाना गलत है।

2. प्रत्यर्थी विभाग की ओर से जवाब प्रस्तुत कर यह अंकित किया गया है कि जिन कर्मचारियों को प्रथम एवं द्वितीय चयनित वेतनमान दिनांक 29.06.2009 के पूर्व तदर्थ आधार पर की गयी सेवा की गणना कर स्वीकृत किया गया तथा जिन्होंने तदर्थ आधार पर की गयी सेवा सहित 29.06.2009 से पूर्व 27 वर्ष की सेवा पूरी कर ली है, परंतु उन्हें तृतीय एसीपी दिनांक 29.06.2009 से

पूर्व स्वीकृत नहीं किया गया है, ऐसे कर्मचारियों को आदेश दिनांक 20.06.2009 एवं 20.08.2010 के अन्तर्गत केवल नियमित नियुक्ति दिनांक से 27 वर्ष की सेवा पूर्ण करने पर ही तृतीय एसीपी देय होगी।

3. हमनें दोनों पक्षों द्वारा दिये गये तर्कों पर विचार किया एवं पत्रावली का ध्यानपूर्वक अवलोकन किया।

4. प्रत्यर्थी विभाग की ओर से अधिवक्ता का कथन रहा है कि अपीलार्थी द्वारा दक्षता परीक्षा उत्तीर्ण करने की दिनांक से अपीलार्थी की नियमित नियुक्ति मानी जाये एवं नियमित नियुक्ति की दिनांक से अपीलार्थी को चयनित वेतनमान का लाभ दिया जाये। हमारे मत में अपीलार्थी के सम्बन्ध में दक्षता परीक्षा उत्तीर्ण करने की शर्त के संबंध में पूर्व में ही इस अधिकरण द्वारा यह मत व्यक्त किया जा चुका है कि अपीलार्थी को चयनित वेतनमान देने के लिए सेवा अवधि की गणना उनकी प्रथम नियुक्ति तिथि से ही की जावे चाहें दक्षता परीक्षा उनके द्वारा बाद में पास की गई हो। अधिकरण के उक्त आदेश को माननीय उच्च न्यायालय ने अपास्त नहीं किया है। ऐसे में प्रत्यर्थी विभाग इस अधिकरण के आदेश की पालना करने के लिए बाध्य है। वर्तमान में जो आलोच्य आदेश दिनांक 10.08.2011 पारित किया गया है, उसमें दक्षता परीक्षा उत्तीर्ण करने की दिनांक से सेवा अवधि की गणना की गई है, जो अधिकरण से पारित आदेश दिनांक 18.08.1999 के विपरीत है।

5. अतः यह अपील स्वीकार की जाती है। प्रत्यर्थी विभाग द्वारा पारित आदेश दिनांक 18.07.2011 को अपास्त किया जाता है एवं प्रत्यर्थी विभाग को आदेश दिया जाता है कि अपीलार्थी के संबंध में अपील संख्या 2021/1998 में पारित आदेश दिनांक 18.08.1999 की पालना में 27 वर्षीय चयनित वेतनमान के लाभ के संबंध में सेवा अवधि की गणना अपीलार्थी की प्रथम नियुक्ति की तिथि से करें और अपीलार्थी को समस्त पारिणामिक लाभ भी प्रदान किये जायें।

(शुचि शर्मा)
सदस्य

(अनन्त भंडारी)
सदस्य (न्यायिक)